भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 479
दिनांक 23.07.2025 को उत्तर देने के लिए

बाड़मेर और जैसलमेर में दुर्लभ खनिजों का खनन

479. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश की खनन नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उन्हें लागू करने के लिए मौजूद तंत्र क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या बाड़मेर-जैसलमेर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के दौरान कोई खनिज तत्व चिह्नित किए गए हैं और यदि हां, तो प्रस्तावित कार्ययोजना क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या भूमि विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, बालोतरा जिले के सिवाना, मोकलसर, सिणधरी क्षेत्र में मोनाजाइट, यूरेनियम, थोरियम, सहित सोलह दुर्लभ खनिज पाए गए हैं जो आर्थिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं:
(घ) क्या सरकार के पास उक्त चिह्नित खनिज ब्लॉकों में खनन के लिए कोई कार्ययोजना है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में बजरी खनन नीति और बजरी खनन पट्टों के आवंटन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है, साथ ही खनन कार्य शुरू करने की प्रगति और योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) में खान विनियमन और खनिज विकास हेतु व्यापक कानून का प्रावधान है। इस अधिनियम में खनिजों के वर्गीकरण, अधिकतम क्षेत्र जिसके लिए खनिज रियायत दी जा सकती है, वह अवधि जिसके लिए खनिज रियायत दी जा सकती है, खनन पट्टों के संबंध में रॉयल्टी, नीलामी के माध्यम से खनिज रियायतें प्रदान करने, खनिजों के संबंध में नियम बनाने की केंद्र सरकार की

शक्ति, गौण खनिजों के संबंध में नियम बनाने की राज्य सरकारों की शक्ति, संरक्षण के प्रयोजनों के लिए क्षेत्रों के आरक्षण आदि के प्रावधान शामिल हैं।

(ख) से (ङ): भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), खान मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय, ने वर्ष 2021-22 और 2025-26 के दौरान राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा (पूर्व में बाड़मेर जिले का हिस्सा) जिलों में विभिन्न खनिज पदार्थों के लिए 47 गवेषण परियोजनाएं शुरू की हैं।

खनिज गवेषण कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप, जीएसआई ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में चूना पत्थर (5021.1 मिलियन टन) और बाड़मेर जिले में दुर्लभ मृदा तत्वों (81.8 मिलियन टन), नाइओबियम (67.6 मिलियन टन), नाइओबियम और टैंटालम (6.8 मिलियन टन), रुबिडियम (19 मिलियन टन), ज़िरकोनियम (52.5 मिलियन टन) और हेफ़नियम (0.3 मिलियन टन) के संसाधन सिद्ध किए हैं।

इसके अतिरिक्त, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, परमाणु खनिज गवेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) ने बालोतरा जिले के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में दुर्लभ मृदा तत्वों और संबंधित तत्वों के लिए विस्तृत गवेषण किया है। एएमडी ने बालोतरा जिले के भाटीखेड़ा क्षेत्र की भूवैज्ञानिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार को प्रस्तुत की है।

एमएमडीआर अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग-घ में सूचीबद्ध 24 महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिजों के संबंध में खनिज रियायत प्रदान करने हेतु नीलामी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। भाटीखेड़ा ब्लॉक एक महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक है। केंद्र सरकार समय-समय पर महत्वपूर्ण खनिजों के ब्लॉकों को नीलामी के लिए अधिसूचित करती है।

(च): एमएमडीआर अधिनियम की धारा 3(ङ) के अनुसार बजरी एक गौण खनिज है। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, राज्य सरकारों को गौण खनिजों के संबंध में खदान पट्टे, खनन पट्टे या अन्य खनिज रियायतें प्रदान करने को विनियमित करने और उनसे संबंधित उद्देश्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार है। तदनुसार, संबंधित राज्य सरकारों ने गौण खनिज रियायत नियम बनाए हैं।

*****